दिनांक 16.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली

- **25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण, दस्तावेज**
- **01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—द्वारिका प्रसाद 2—सुरेन्द्र पाल 3—महेश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण, दस्तावेज, 01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—द्वारिका प्रसाद निवासी ककडारी थाना वानपुर जनपद ललितपुर, हालपता चौकाबाग थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

2—सुरेन्द्र पाल निवासी आजादपुरा सूर्याचल गढी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

3—महेश प्रसाद निवासी कस्बा व थाना तालबेहट जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1—01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण, दस्तावेज।

2—01 स्कार्पियो वाहन आदि।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.08.2024 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तत्यौरा–बेहटी मार्ग पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजवीर निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कटका, थाना जलालपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 54 हजार 300 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 16.08.2024को थाना कटका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसौढ़ा मुण्डेरा मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर

जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामनाथ उर्फ नत्था घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–परशुराम सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के क्रम में थाना जलालपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नंदपुर मोड़ ग्राम शेखूपुर के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 3–सोबरन 4–अमर 5–हरदम 6–कांताराम उर्फ कन्तऊ को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 54 हजार 300 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रामनाथ उर्फ नत्था के विरूद्ध जनपद खीरी, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त कन्तऊ उर्फ कान्ताराम के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कटका व थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामनाथ उर्फ नत्था निवासी ग्राम गौरिया थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

2–परशुराम निवासी दामूबेहर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

3–सोबरन निवासी खैराती का पुरवा थाना इसानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

4–अमर निवासी दामूबेहर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

5–हरदम निवासी दामूबेहर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

6–कांताराम उर्फ कन्तऊ निवासी दामूभर जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 54 हजार 300 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–चोरी करने के उपकरण आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना सरधुवा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 60 हजार 400 रूपये नगद**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 इनोवा कार आदि बरामद**

दिनांक 16.08.2024 को थाना सरधुवा, थाना रैपुरा, थाना पहाड़ी, थाना राजापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैश्वनी नदी पुल के पास से 10 अभियुक्तों 1–अनूप कुमार 2–सलमान 3–गोपी 4–सुरेश 5–जोगेन्द्र 6–पृथ्वीलाल 7–बब्बू 8–सुखलाल 9–मुन्नालाल 10–सोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 14 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 60 हजार 400 रूपये नगद, 05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 इनोवा कार आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना सरधुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरधुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध जनपद चित्रकूट, कौशाम्बी के विभिन्न थानो में 18 अभियोग, अभियुक्त मुन्ना एवं सुखलाल के विरूद्ध जनपद चित्रकूट व कौशाम्बी के विभिन्न थानो में 13–13 अभियोग एवं अभियुक्त पृथ्वीलाल के विरूद्ध जनपद चित्रकूट व जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थानो में 12 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरधुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनूप कुमार निवासी मोहल्ला अशोक नगर कस्बा व थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

2—सलमान निवासी ग्राम चरई उग्रसेनपुर थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।

3—गोपी निवासी ग्राम कलस्पर थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।

4—सुरेश निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

5—जोगेन्द्र निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

6—पृथ्वीलाल निवासी वैशकांटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

7—बब्बू निवासी सुलेमसराय थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

8—सुखलाल निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

9—मुन्नालाल निवासी ग्राम वैशकाटी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

10—सोनू निवासी मोहल्ला अशोक नगर कस्बा व थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—लगभग 14 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 60 हजार 400 रूपये नगद।

3—05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 इनोवा कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 कार आदि बरामद**

दिनांक 16.08.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंधावली रेलवे अण्डरपास के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शादाब 2—शहजाद घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—मुकीम 4—गौरव सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शादाब के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त मुकीम के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शादाब निवासी जैन नगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–शहजाद निवासी जैन नगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3–मुकीम निवासी कस्साबान थाना थानाभवन जनपद शामली।

4–गौरव निवासी चिरईया डाक थाना गगहा जनपद गोरखपुर, हालपता महावीर एन्क्लेव पार्ट–2 उत्तर नगर दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–02 कार आदि।

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना आलापुर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.08.2024 को थाना आलापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौक के पास से अभियुक्त 1–हिमांशु 2–प्रिंस उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 3–अंकुर उर्फ अंकित उर्फ उदय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त हिमांशु व प्रिंस उर्फ आकाश के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06–06 अभियोग एवं अभियुक्त अंकुर उर्फ अंकित उर्फ उदय के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर व आजमगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना आलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशु निवासी बहिगवां जोगीपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–प्रिंस उर्फ आकाश निवासी ग्राम सतरही थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

3–अंकुर उर्फ अंकित उर्फ उदय निवासी बहरामपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

- **जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–करीम 2–देवा 3–मनोज 4–अमीरूद्दीन को आजीवन कारावास व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना जैतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना खजनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना जरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना जरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/354/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।